राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 08.07.2021

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता	अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी	कुचामन सिटी
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता	अपर जिला न्यायाधीश, लाडनू	लाडनू
3.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	अपर जिला न्यायाधीश, निवाई	निवाई
4.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम	अपर जिला न्यायाधीश, बस्सी	बस्सी

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

8.7.2021

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।

8. जिला कलक्टर, जयपुर/ नागौर/ टोंक।

9. पुलिस अधीक्षक, नागौर/ टोंक।

10. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम, मेडता एवं टोंक।

11. पुलिस आयुक्त, जयपुर।

12. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।

13. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

14. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

15. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।

1. रक्षित पत्रावली।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव